छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर
––00––

संक्षिप्त विज्ञापन

क्रमांक एफ 3–1/2020/1–13 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07/02/2024

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के पृच्छानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं 01 सूचना आयुक्त के पद की पूर्ति हेतु इस विभाग के समसंख्यक पत्र क्रमांक एफ 3–1/2022/1–13 दिनांक 05/09/2022 द्वारा विज्ञापन जारी किये गये थे। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार विज्ञापन जारी हुए अधिक लंबा समय हो जाने के कारण पुनः आवेदन आमंत्रित किया जाना है। अतः राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसरण में राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त एवं 01 सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन प्रपत्र प्रारूप **दिनांक 23/02/2024 तक कार्यालयीन समय में** आमंत्रित किये जाते हैं।

2/– उक्त पद की अर्हताएं एवं शर्ते तथा आवेदन का प्रारूप छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट http://gad.cg.gov.in या www.cg.nic.in/gadonline में देखा/ डाउनलोड किया जा सकता है तथा रोजगार और नियोजन के आगामी अंक में देखा जा सकता है।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर
––00––

क्रमांक एफ 3–1/2020/1–13 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/02/2024

विज्ञापन एवं शर्ते

विषय – **छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के एक रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में ।**

–––000–––

राज्य शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने एवं उसे सौंपे गए कार्यो के निष्पादन हेतु किया है। यह कार्यालय नार्थ ब्लाक, सेक्टर 19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर में स्थित है। राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त की शक्तियां एवं दायित्व सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार है।

2/– राज्य शासन,एतद् द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 एवं भारत का राजपत्र (असाधारण) दिनांक 24.10.2019 को प्रकाशित "सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2019" के प्रावधानों के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में **"राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त** के **रिक्त एक पद"** पर नियुक्ति हेतु इच्छुक भारत के नागरिकों से, जो उक्त पद हेतु निर्धारित आवश्यक योग्यता एवं अनुभव धारित करते हों, आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पद से संबंध में अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

1. **योग्यता –** सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियम 15(5) एवं 15(6) के अनुसार आवेदक विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाला प्रख्यात व्यक्ति होना चाहिए।

   आवेदक यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान–मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं रखेगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के पूर्व संबंधित व्यक्ति को लाभ का पद, कोई कारोबार या व्यापार छोड़ना/बंद करना होगा।

2. **पदावधि –** यथास्थिति, राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पदधारण करता है, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा ।

3. **नियुक्ति पर वर्तमान सेवा से निवृत होना–** यथास्थिति, ऐसे राज्य सूचना आयुक्त जो आयोग में उनकी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से निवृत समझा जायेगा ।

4. **वेतन –** राज्य सूचना आयुक्त प्रतिमाह 2,25,000/–(अक्षरी रूपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा।

   यदि, यथास्थिति, राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, कोई पेंशन प्राप्त

निरंतर 2/–

कर रहा है तो, यथास्थिति, ऐसे राज्य सूचना आयुक्त के वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का कोई ऐसा भाग जिसे सरांशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा।

यदि, यथास्थिति, राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम में या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो, यथास्थिति, राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा संबंध में उसके वेतन मे से सेवानिवृत्त प्रसुविधा के समतुल्य पेंशन की रकम को कम कर दिया जाएगा ।

5. **महंगाई भत्ता** – यथास्थिति, राज्य सूचना आयुक्त राज्य सरकार में समान वेतन वाला कोई पद धारण करने वाले किसी अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर समय–समय पर यथा पुनरीक्षित महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

6. 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले व्यक्ति नियुक्ति हेतु पात्र नही होंगे।

3/–. **आवेदन पत्र प्रेषित करने का पता–** इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र पूर्ण एवं सुस्पष्ट जानकारी सहित **सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग** (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) 492002 के पते पर **स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक** से भेजे जा सकेंगे। **अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नही किए जायेंगे ।**

4/– **अंतिम तिथि – दिनांक 23 फरवरी 2024 तक कार्यालयीन समय की समाप्ति के समय तक स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे** । उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । **डाक वितरण में होने वाले विलंब के लिए यह विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।**

टीप :–
(1) अपूर्ण रूप से भरे अथवा अहस्ताक्षरित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
(2) आवेदक लिफाफे पर स्पष्ट रूप से आवेदति पद **"राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" अथवा "राज्य सूचना आयुक्त" के पद हेतु आवेदन पत्र** अंकित किया जाये।
(3) योग्यता, ख्याति एवं सेवा आदि संबंधी जानकारी की पुष्टि हेतु संलग्न अभिलेखों की स्वयं प्रमाणित पठनीय छायाप्रतियां संलग्न की जाए ।
(4) आवेदक के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में कोई अपराधिक मामला लंबित नही होना चाहिए आवेदक यदि केन्द्र या राज्य की सेवा में रहा हो तो उसके विरूद्ध कोई अपराधिक/विभागीय जांच का मामला लंबित नहीं होना चाहियें एवं आवेदक को किसी न्यायालय द्वारा कभी दंडित न किया गया हो।
(5) **ऐसे आवेदक जिनके द्वारा पूर्व में दिनांक 05.09.2022 को जारी विज्ञापन के संदर्भ में निर्धारित तिथि एवं समयावधि में आवेदन प्रस्तुत किया है, उन्हें पुनः आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है। वे आवेदक पूर्व में जारी विज्ञापन के तहत रिक्त पदों एवं इस विज्ञापन में उल्लेखित रिक्त पदों अर्थात राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के एक रिक्त पद पर चयन हेतु विचारक्षेत्र में मान्य किये जायेंगे ।**

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के पद हेतु विचार करने के लिए विवरण भेजने हेतु प्रपत्र

कृपया नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं

आवेदित पद का नाम–..

1. नाम : ____________________________________

2. जन्मतिथि : ____________________________________

3. वर्तमान पता : ____________________________________

____

4. संपर्क सूत्र

(क) दूरभाष (एसटीडी कोड सहित) : ____________________________________

(ख) मोबाईल : ____________________________________

(स) फैक्स : ____________________________________

5. ई–मेल पता : ____________________________________

6. शैक्षिणक योग्यता : ____________________________________

____

7. ख्याति का क्षेत्र (विज्ञापन में 2(1) में दिये गये विवरण अनुसार :

ख्याति का क्षेत्र	
विधि	
विज्ञान और प्राद्योगिकी	
सामाजिक सेवा	
प्रबंधन	
पत्रकारिता	
जनसंपर्क माध्यम	
प्रशासन और शासन	

8. उपलब्धियां / कार्य अनुभव : ____________________________________

____

9. वर्तमान व्यवसाय : ____________________________________

____

तिथि : ______________

स्थान : ______________

हस्ताक्षर : ______________

नाम : ______________

Pz

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उपलब्धियां/कार्य अनुभव का विवरण

कम संख्या	पद	संगठन/शासकीय सेवा के संबंध में पदस्थापना / अन्य विवरण	अवधि		उपलब्धि / अनुभव का विवरण (संक्षेप में)
			से	तक	
1					
2					
3					
4					
5					